नियम 46 : शपथ–पत्र द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत करना

(1) अपील अधिकरण पक्षकारों को शपथ–पत्र द्वारा साक्ष्य, यदि कोई हो, प्रस्तुत करने का निर्देश दे सकेगा।

(2) उपनियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां अपील अधिकरण प्राकृतिक न्याय के हित में इसे आवश्यक समझे, वह किसी भी पक्षकार द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर, अपील अधिकरण द्वारा तय किए गए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी सुविधाओं जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या अन्यथा के माध्यम से विरोध बिंदुओं पर किसी भी अभिसाक्षी से प्रति–परीक्षा करने का आदेश दे सकेगा।